



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 113]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 1, 1982/चैत्र 11, 1904

No. 113]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 1, 1982/CHAITRA 11, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation

दिल संत्रालय  
(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 1982

सां० कां० नि० 300 (अ).—सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873  
(1873 का 5) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए  
केन्द्रीय सरकार ने एतद्वारा डाकघर सावधि जमा नियमावली, 1981 में  
संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाए हैं, अर्थात् :—

- संक्षिप्त नाम और लागू होने की तारीख—(1) इन नियमों को  
डाकघर सावधि जमा (संशोधन) नियम, 1982 कहा जाएगा।  
(2) ये नियम पहली अप्रैल, 1982 से लागू होंगे।
- डाकघर सावधि जमा नियमावली, 1981 के नियम 7 में सारणी  
अ और इसके नीचे दी गई टिप्पणी के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा,  
अर्थात् :—

“सारणी अ

(2 मार्च, 1981 को अथवा उसके पश्चात् परन्तु पहली अप्रैल,  
1982 से पहले जमा कराई गई राशियों के लिए)

जमा की अवधि	वार्षिक व्याज दर
1 वर्ष	8½ प्रतिशत
2 वर्ष	9½ प्रतिशत
3 वर्ष	10½ प्रतिशत
5 वर्ष	10½ प्रतिशत

सारणी ड

(पहली अप्रैल, 1982 को अथवा उसके पश्चात् जमा कराई गई  
राशियों के लिए)

जमा की अवधि	वार्षिक व्याज दर
1 वर्ष	9 प्रतिशत
2 वर्ष	9½ प्रतिशत
3 वर्ष	10½ प्रतिशत
5 वर्ष	10½ प्रतिशत

टिप्पणी: पहली अप्रैल, 1979 को अथवा उसके पश्चात् जमा कराई गई  
राशियों के लिए, यथास्थिति, सारणी ग, अथवा सारणी घ अथवा  
सारणी ड में विनिर्दिष्ट दरों पर छमाही आधार पर हिसाब लगा  
कर व्याज प्रदा किया जाएगा।”

[एफ० संख्या 2(7)/82-एन० एम०(i)]

MINISTRY OF FINANCE  
(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st April, 1982

G.S.R. 300 (B).—In exercise of the powers conferred by  
section 15 of the Government Savings Banks Act, 1873 (5 of

1873), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Post Office Time Deposit Rules, 1981, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Post Office Time Deposit (Amendment) Rules, 1982.
- (2) They shall come into force on the 1st day of April, 1982.
2. In the Post Office Time Deposit Rules, 1981, in rule 7, for Table D and the Note thereunder, the following Tables and Note shall be substituted, namely :—

“TABLE D

(For deposits made on or after the 2nd March, 1981 but before the 1st April 1982).

Period of deposit	Rate of interest per annum
1 Year	8 percent
2 Years	9 per cent
3 Years	10 per cent
5 Years	10½ per cent

TABLE E

(for deposits made on or after the 1st April 1982.)

Period of deposit	Rate of interest per annum
1 Year	9½ per cent
2 Years	9¾ per cent
3 Years	10¼ per cent
5 Years	10½ Per cent

Note :—For deposits made on or after the 1st October, 1979, interest will be payable at the rates specified in Table C or Table D or Table E, as the case may be, calculated at half-yearly rest.”

[No. 2/7/82-NS (i)]

सा० का० नि० 301(अ)—केन्द्रीय सरकार ने सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 (1873 का 5) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा डाकघर आवर्ती जमा नियमावली, 1981 में संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाये हैं, अर्थात्:—

1. (संक्षिप्त नाम और लागू होने की तारीख) :— (1) इन नियमों को डाकघर आवर्ती जमा (संशोधन) नियमावली, 1982 कहा जायेगा।

(2) ये नियम पहली अप्रैल, 1982 से लागू होंगे।

2. डाकघर आवर्ती जमा नियमावली, 1981 में :—

(1) नियम 9 में दोनों अनुसूचियों की अंतिम मधे 1-10-79 से आगे 778.10 के स्थान पर निम्नलिखित मधे प्रतिस्थापित की जायेंगी,

“1-10-79 से 31-12-1982 778.10”

“1-4-1982 से आगे 786.80”

(2) नियम 10 के उपनियम (2) के खंड (क) और (ग) में “सारणी 1 या 2” शब्दों और अंकों के स्थान पर “सारणी 1, 2 या 11” शब्द और अंक रखे जायेंगे;

(3) नियम 11 के उपनियम (2) के खंड (ख) और (ग) में “सारणी 3 या 4” शब्दों और अंकों के स्थान पर “सारणी 3, 4 या 12” शब्द और अंक रखे जायेंगे;

(4) सारणी 2 और 4 में 1 अक्तूबर, 1979 को या उसके पश्चात् शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान “1 अक्तूबर, 1979 को या उसके पश्चात् परन्तु 1 अप्रैल, 1982 से पहले” शब्द, अंक और अक्षर रखे जायेंगे;

(5) सारणी 9 में अंतिम मधे “60 760-00” हटा दी जायेंगी;

(6) सारणी 10 के बाद निम्नलिखित सारणी अन्तर्दृष्ट की जायेंगी, अर्थात् :—

“सारणी 11

(नियम 10 देखिए)

1 अप्रैल, 1982 को अथवा उसके पश्चात् खोले गये किसी खाते पर जिसे परिपक्वता अवधि के पश्चात् अथवा नियम 7 के उपनियम (1) के अन्तर्गत बढ़ाई गई परिपक्वता अवधि के पश्चात् मासिक रूप से राशि जमा करके जारी रखा गया हो, ब्याज सहित प्रतिसंदेय राशि।

संपूरित वर्षों की संख्या 10 रुपये के मूल्यवर्ग के खाते जिनके लिए खाता जारी रखा जाता है। पर प्रतिसंदेय राशि (रुपये)

एक वर्ष	998.40
दो वर्ष	1232.90
तीन वर्ष	1492.70
चार वर्ष	1780.40
पांच वर्ष	2099.10

टिप्पणी : किसी अन्य मूल्यवर्ग के खाते पर प्रतिसंदेय रकम ऊपर विनिर्दिष्ट राशि के अनुपात में होगी।

सारणी 12

(नियम 11 देखिए)

1 अप्रैल, 1982 को अथवा उसके पश्चात् खोले गये किसी खाते पर, जिसे परिपक्वता अवधि के पश्चात् अथवा नियम 7 के उपनियम (1) के अन्तर्गत बढ़ाई गई परिपक्वता अवधि के पश्चात्, नई मासिक राशियों के जमा कराये बिना जारी रखा गया हो, ब्याज सहित प्रतिसंदेय राशि।

संपूरित वर्षों की संख्या जिनके लिये खाता जारी रखा जाता है। 10 रुपये के मूल्यवर्ग के खाते पर प्रतिसंदेय राशि (रुपये)

एक वर्ष	871.50
दो वर्ष	965.40
तीन वर्ष	1069.50
चार वर्ष	1184.70
पांच वर्ष	1312.40

टिप्पणी :—किसी अन्य मूल्यवर्ग के खाते पर प्रतिसंदेय रकम ऊपर विनिर्दिष्ट राशि के अनुपात में होगी।

[सं० 2/7/82-एन०एस(ii)]

अखिलेश चन्द्र निवारी, संयुक्त सचिव

G.S.R. 301(E).—In exercise of the powers conferred by section 15 of the Government Savings Banks Act, 1873 (5 of

1873), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Post Office Recurring Deposit Rules, 1981, namely:—

1. Short title and commencement—(1) These rules may be called the Post Office Recurring Deposit (Amendment) Rules, 1982.

(2) They shall come into force on the 1st day of April, 1982.

2. In the Post Office Recurring Deposit Rules, 1981,—

(i) in rule 9, in both the Schedules, for the last item, 'From 1-10-1979 onwards 778.10'

the following items shall be substituted, namely —

'From 1-10-1979 to 31-3-1982 778.10  
From 1-4-1982 onwards 786.80'

(ii) in rule 10, in sub-rule (2), in clauses (a) and (c), for the words and figures "Table 1 or 2", the words and figures "Table 1, 2 or 11" shall be substituted;

(iii) in rule 11, in sub-rule (2), in clauses (b) and (c), for the words and figures "Table 3 or 4", the words and figures "Table 3, 4 or 12" shall be substituted;

(iv) in Tables 2 and 4, for the words, figures and letters "on or after 1st October, 1979", the words figures and letters "on or after 1st October, 1979, but before 1st April, 1982" shall be substituted;

(v) in Table 9, the last item "60 760.00" shall be omitted;

(vi) after Table 10, the following Tables shall be inserted, namely—

"TABLE 11

(See rule 10)

Amount, inclusive of interest, payable on an account opened on or after 1st April, 1982 and continued, with monthly deposits,

beyond the maturity period or maturity period as extended under sub-rule (1) of rule 7.

Number of completed years for which the account is continued.	Amount (Rs.) repayable on an account of Rs. 10/- denomination
One year	998.40
Two years	1232.90
Three years	1492.70
Four years	1780.40
Five years	2099.10

Note :—The amount repayable on an account of any other denomination shall be proportionate to the amount specified above.

TABLE 12

(See rule 11)

Amount, inclusive of interest, repayable on an account opened on or after 1st April, 1982 and continued, without any fresh monthly deposits, beyond the maturity period or maturity period as extended under sub-rule (1) or rule 7.

Number of completed years for which the account is continued.	Amount (Rs.) repayable on an account of Rs. 10 denomination.
One year	871.50
Two years	965.40
Three years	1069.50
Four years	1184.70
Five years	1312.40

Note : The amount payable on an account of any other denomination shall be proportionate to the amount specified above".

[No. 2/7/82-NS(ii)]

A. C. TIWARI, Joint Secy.

